

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर

क्रमांक प.10(न.पा.)(गठन)()डीएलबी/20/748

दिनांक: 25/6/20

अधिसूचना

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम संख्या 18) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) (i) एवं उप-धारा (8) के खण्ड (ग) सपठित धारा 329 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार निम्नांकित ग्राम पंचायत क्षेत्र/राजस्व ग्राम को एतद्वारा तत्काल प्रभाव से चतुर्थ श्रेणी की नगरपालिका घोषित करती है:-

क्र. सं.	जिला	नवगठित नगर पालिका का नाम	नवगठित नगरपालिका में शामिल ग्राम पंचायत एवं राजस्व ग्राम
1.	सवाईमाधोपुर	बामनवास	राजस्व ग्राम बामनवास पट्टी कला एवं बामनवास पट्टी खुर्द

राज्यपाल की आज्ञा से,

25/6/20
(उज्ज्वल राठौड़)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव
विभागीय एवं संयुक्त सचिव
स्वायत्त शासन विभाग

क्रमांक: प.10(न.पा.)(गठन)()डीएलबी/20/749-835

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

01. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
02. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
03. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
04. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज. विभाग राज. जयपुर।
05. निजी सचिव, अध्यक्ष, राज्य वित्त आयोग, राज. जयपुर।
06. निजी सचिव, सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राज. जयपुर।
07. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
08. निजी सचिव, आयुक्त, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज. विभाग जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उपरोक्त नवगठित नगरपालिकाओं में सम्मिलित किये गये ग्राम पंचायत क्षेत्र को पंचायत सीमा से पृथक किये जाने के संबंध में नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच/सचिव, को अधिसूचना की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
09. निदेशक, जनगणना विभाग, राज. जयपुर।
10. निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, राज. जयपुर।
11. संभागीय आयुक्त/जिला कलक्टर सवाईमाधोपुर।
12. मुख्य नगर नियोजक, नगर नियोजन विभाग, राज. जयपुर।
13. निदेशक/अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, राज. जयपुर को आगामी असाधारण अंक राज. राजपत्र में प्रकाशनार्थ एवं 50 प्रतियां उपलब्ध कराये जाने हेतु।
14. समस्त अधिकारीगण एवं अनुभाग, निदेशालय स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
15. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, भरतपुर।
16. नोडल अधिकारी, वेबसाईट, निदेशालय को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
17. सरपंच / उपसरपंच/सचिव, राजस्व ग्राम बामनवास पट्टी कला/बामनवास पट्टी खुर्द।
18. सुरक्षित पत्रावली।

(संजय माथुर)
वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी
वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी
स्वायत्त शासन विभाग